मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1099

02.12.2024 को उत्तर के लिए

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण

1099. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का औचक/मौके पर निरिक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई, निदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या उक्त उद्योगों ने दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले उद्योगों तथा उन उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री;
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(**क**) **से** (**घ**): पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से पूरे भारत के औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करता है**,** जो क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। पिछले 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2022 से वर्ष 2024 के दौरान**,** सीपीसीबी ने ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) डेटा के आधार पर चयनित उच्च प्रदूषण क्षमता वाली 17 श्रेणियों और सामान्य अपशिष्ट शोधन सुविधाओं में आने वाली कुल 268 इकाइयों का निरीक्षण किया है। निरीक्षणों की राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक-**I में संलग्न है। निरीक्षण के दौरान**,** 129 इकाइयां पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन नहीं करती पाई गईं है**,** जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है (बंद करने के निर्देश: 5, कारण बताओ नोटिस/तकनीकी निर्देश: 67, उद्योगों को पत्र द्वारा जारी निर्देश: 16, और एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश: 41)**।** शुरूआत में अनुपालन नहीं करने वाली 129 इकाइयों में से 37 इकाइयों ने बाद में पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन किया है। निरसन समिति द्वारा अनुपालन करने की स्थिति की जांच के बाद सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों के मामले में बंद करने के निर्देश निरस्त कर दिए गए हैं। शेष 92 इकाइयों पर सीपीसीबी के नोटिस/निर्देश अभी भी लागू हैं।

सीपीसीबी नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा और यमुना नदी के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संचालित अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण भी करता है। यह निरीक्षण आईआईटी, एनआईटी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) जैसे तकनीकी संस्थानों के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा किया जाता है। इन निरीक्षणों के आधार पर उद्योगों की अनुपालन-स्थिति ऊपर बताए अनुसार पता की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित एसपीसीबी द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार है:

वर्ष	जीपीआई की संख्या	कार्यरत	स्वतः-बंद	अनुपालन किया गया	अनुपालन-नहीं किया गया	
					कारण बताओं नोटिस जारी किए गए	बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए
2020	2740	2146	495	1975	171	99
2022	2706	2184	476	1752	432	46
2023	3186	2466	655	2419	47	65

संचालन यूनिट = अनुपालन किया गया + कारण बताओं नोटिस जारी किए गए

****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2022-24 के दौरान ओसीईएमएस डेटा के आधार पर सीपीसीबी द्वारा निरीक्षण किए गए उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों और साझा सुविधाओं की 17 श्रेणियों की राज्य-वार स्थिति

(दिनांक 18.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
2	आंध्र प्रदेश	11	5	0	0	3	0	1	0	1	0	0	5
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	11	5	0	0	4	2	0	0	1	1	3	2
5	बिहार	5	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	11	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	4	4	0	0	0	0	3	1	1	0	1	3
10	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	27	16	1	1	9	3	0	0	6	0	4	12
12	हरयाणा	15	8	0	0	2	1	4	2	2	0	3	5

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
13	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	6	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
16	कर्नाटक	24	14	2	2	5	2	2	1	5	0	5	9
17	केरल	7	4	0	0	1	0	0	0	3	1	1	3
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	32	18	0	0	8	1	0	0	10	0	1	17
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
24	मिजोरम	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
26	ओडिशा	11	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	5	4	0	0	1	1	3	1	0	0	2	2
29	राजस्थान	16	6	0	0	2	2	1	1	3	0	3	3
30	सिक्किम	5	5	0	0	4	1	0	0	1	1	2	3
31	तमिलनाडु	10	8	0	0	3	1	1	0	4	0	1	7
32	तेलंगाना	11	6	0	0	4	2	0	0	2	0	2	4
33	त्रिपुरा	3	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षण किये गये उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए	उद्योगों की संख्या जिनके बंद करने के निर्देश वापस ले लिए गए हैं	उद्योगों की संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/ तकनीकी निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के एससीएन/ तकनीकी निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/ पीसीसी को निर्देश जारी किए गए थे	निर्देशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या (एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी)	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न कर रहीं लेकिन आज की तिथि तक अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	उद्योगों की संख्या जिनके लिए एससीएन/ सीपीसीबी/ एसपीसीबी के निर्देश अभी भी लागू हैं
		क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट = घ+च+ज+ ञ	ठ = ख-ट
34	उत्तर प्रदेश	24	9	0	0	8	1	0	0	1	0	1	8
35	उत्तराखंड	5	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
36	पश्चिम बंगाल	7	3	0	0	3	1	0	0	0	0	1	2
	कुल	268	129	5	5	67	22	16	7	41	3	37	92

*****